

केवाईसी दस्तावेज़

मापदंड	विशेषताएँ
केवाईसी-नो योर कस्टमर (ग्राहक को जानें)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ हमारे नियामकों (आरबीआई और एनएचबी दोनों) द्वारा प्रयोज्य अनुसार (अपने ग्राहक को जानें) समय-समय पर जारी मानदंड का पालन किया जाएगा। ➤ सभी उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं के लिए केवाईसी का निष्पादन किया जाएगा।
केवाईसी-फोटोग्राफ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पासपोर्ट आकार के नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ ➤ आर-पार हस्ताक्षर के साथ स्व-सत्यापित (सभी आवेदकों द्वारा)
केवाईसी-पहचान प्रमाण (व्यक्ति के लिए फोटो के साथ कोई भी एक)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यक्तियों के लिए : <ul style="list-style-type: none"> ➤ पासपोर्ट (समाप्त न हुआ हो) ➤ पैन कार्ड ➤ आधार कार्ड ➤ ड्राइविंग लाइसेंस ➤ मतदाता पहचान पत्र ➤ किसी सरकारी संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र ➤ किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ➤ किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी फोटो डेबिट कार्ड ➤ केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा नाम, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के साथ जारी वैध सशस्त्र लाइसेंस (पहचान प्रमाण) ➤ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यक्ति के यथा सत्यापित फोटोग्राफ के साथ जारी पत्र ➤ गैर-व्यक्तियों/व्यवसायी इकाइयों के लिए : <ul style="list-style-type: none"> ➤ दुकान एवं प्रतिष्ठान का प्रमाणपत्र ➤ ट्रेड लाइसेंस का प्रमाणपत्र ➤ एसएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र ➤ पैन कार्ड/सेल्स टैक्स/वैट पंजीकरण प्रमाणपत्र ➤ पार्टनरशिप डीड (संस्थाओं के लिए)/कंपनियों के लिए मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) ➤ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कोड प्रमाणपत्र/फैक्टरी पंजीकरण प्रमाणपत्र ➤ व्यवसायी व्यक्तियों के लिए फोटो के साथ व्यावसायिक योग्यता का प्रमाणपत्र और डिग्री प्रमाणपत्र ➤ अंतिम उपलब्ध आयकर आकलन आदेश ➤ नवीनतम उपलब्ध सम्पत्ति कर आकलन आदेश ➤ आवंटित पते के उल्लेख के साथ संस्था के नाम में एसईजेड, एसटीपी, ईएचटीपी, डीटीए और ईपीजेड द्वारा जारी प्रमाणपत्र ➤ आईसीएआई/आईसीएसआई/आईसीडब्ल्यूआई जैसे व्यवसायिक

	<p>संस्थानों द्वारा संस्था के नाम में जारी पंजीकरण का कोई अन्य प्रमाणपत्र</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों, एफआई एण्ड एफआईआई, एमएफ, पीएसयू (केन्द्र एवं राज्य), सरकारी विभाग, स्थानीय स्व शासन (नगर निगम आदि) और सरकारी संस्थान द्वारा जारी संस्था के नाम में टीडीएस प्रमाणपत्र ➤ फैक्टरी पंजीकरण प्रमाणपत्र
<p>जन्म तिथि का प्रमाण (कोई भी एक)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पासपोर्ट ➤ पैन कार्ड ➤ आधार कार्ड ➤ सटीक जन्म-तिथि के स्पष्ट उल्लेख के साथ मतदाता पहचान पत्र ➤ ड्राइविंग लाइसेंस ➤ जन्म का प्रमाणपत्र (सरकारी संस्था द्वारा जारी) ➤ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (10 वीं) ➤ कर्मचारी का आईडी (केवल पीएसयू/सरकारी कर्मचारियों के लिए) ➤ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यक्ति के यथा सत्यापित फोटोग्राफ के साथ जारी पत्र
<p>केवाईसी-निवास पते का प्रमाण (कोई भी एक)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ व्यक्तियों के लिए: ➤ पासपोर्ट ➤ ड्राइविंग लाइसेंस ➤ मतदाता पहचान पत्र ➤ राशन कार्ड ➤ जनोपयोगी बिल (आवेदन की तारीख से नवीनतम 3 महीनों में से कोई एक) ➤ नवीनतम पोस्ट-पेड मोबाइल बिल (अंतिम 2 महीने) ➤ स्टैम्प पेपर पर किराये का अनुबंध (रजिस्ट्री या नोटरी किया हुआ) ➤ किसी वाणिज्यिक बैंक (राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक) के उधारकर्ताओं के पते के उल्लेख के साथ बैंक स्टेटमेंट ➤ सम्पत्ति, यदि निजी हो, का सेल डीड (विक्रय दस्तावेज़) ➤ इलेक्शन रोल का संचालन करने वाले वार्ड अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र जो आवेदक के पते को प्रमाणित करता हो ➤ सम्पत्ति कर का बिल/रसीद ➤ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यक्ति के यथा सत्यापित फोटोग्राफ के साथ जारी पत्र ❖ गैर-व्यक्तियों/व्यवसायी इकाइयों के लिए : ➤ दुकान एवं प्रतिष्ठान का प्रमाणपत्र/ट्रेड लाइसेंस का प्रमाणपत्र/एसएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र/सेल्स टैक्स/वैट पंजीकरण प्रमाणपत्र ➤ पार्टनरशिप डीड (संस्थाओं के लिए)/कंपनियों के लिए मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन (एमओए)/एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कोड प्रमाणपत्र/फैक्टरी पंजीकरण प्रमाणपत्र

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वर्तमान बैंकर से पत्र (किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक और अधिसूचित सहकारी बैंकों के लिए सीमित)। बैंक के लेटरहेड पेपर पर मूल रूप में पत्र प्राप्त किये जाएंगे जिस पर प्राधिकृत अधिकारियों के नाम और हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर रहने चाहिए। व्यक्ति के नाम, फोटोग्राफ और पते के लिए सत्यापन किया रहना चाहिए। ➤ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यक्ति के यथा सत्यापित फोटोग्राफ के साथ जारी पत्र
<p>केवाईसी-कार्यालय के पते का प्रमाण (कोई भी एक)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ व्यक्तियों के लिए: <ul style="list-style-type: none"> ➤ विक्रय कर पंजीकरण ➤ दुकान एवं प्रतिष्ठान का प्रमाणपत्र ➤ ट्रेड लाइसेंस का प्रमाणपत्र ➤ जनोपयोगी बिल (आवेदन की तारीख से नवीनतम 3 महीनों में से कोई एक) ➤ स्टैम्प पेपर पर किराये का अनुबंध (रजिस्टरी या नोटरी किया हुआ) ➤ सम्पत्ति, यदि निजी हो का सेल डीड (विक्रय दस्तावेज़) ➤ सम्पत्ति कर का बिल/रसीद ❖ गैर-व्यक्तियों/व्यवसायी इकाइयों के लिए : <ul style="list-style-type: none"> ➤ दुकान एवं प्रतिष्ठान का प्रमाणपत्र/ट्रेड लाइसेंस का प्रमाणपत्र/एसएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र/सेल्स टैक्स/वैट पंजीकरण प्रमाणपत्र ➤ पार्टनरशिप डीड (संस्थाओं के लिए)/कंपनियों के लिए मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन (एमओए)/एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कोड प्रमाणपत्र/फैक्टरी पंजीकरण प्रमाणपत्र ➤ वर्तमान बैंकर से पत्र (किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक और अधिसूचित सहकारी बैंक)। मूल रूप में पत्र प्राप्त किया जाएगा। वर्तमान बैंकर बैंक के लेटरहेड पर संस्था के नाम और पते का सत्यापन अवश्य करें।
<p>केवाईसी-संघटन के दस्तावेज़ (प्रयोज्य अनुसार)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/एकाधिकारवत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी : <ul style="list-style-type: none"> ➤ निगमन का प्रमाणपत्र ➤ कम्पनी के एमओए और एओए ➤ फॉर्म 32 ➤ आरओसी के पास दर्ज एन्युअल रिटर्न फाइल ➤ निदेशकों की सूची एवं सीए द्वारा यथा प्रमाणित शेयरधारिता का स्वरूप

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पार्टनरशिप फार्म: <ul style="list-style-type: none"> ➤ पार्टनरशिप डीड-सभी साझेदारों द्वारा प्रमाणित कि यही सबसे नवीनतम डीड या दस्तावेज़ है ➤ डिऑल्यूशन डीड-वर्तमान साझेदारों द्वारा प्रमाणित कि यही सबसे नवीनतम डीड या दस्तावेज़ है ➤ रजिस्ट्रिंग प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस जैसे कि आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ़ कम्पनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया, इंडियन मेडिकल काउंसिल, फूड एण्ड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़, आदि द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस। ❖ प्रॉप्राइटरशिप (स्वामित्व) <ul style="list-style-type: none"> ➤ अंतिम तीन महीने के बैंक स्टेटमेंट ➤ दुकान एवं प्रतिष्ठान का प्रमाणपत्र/ट्रेड लाइसेंस का प्रमाणपत्र/एसएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र/सेल्स टैक्स/वैट पंजीकरण ➤ रजिस्ट्रिंग प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस जैसे कि आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ़ कम्पनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया, इंडियन मेडिकल काउंसिल, फूड एण्ड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़, आदि द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस।
हस्ताक्षर का सत्यापन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सभी आवेदकों या आवेदकों की ओर से हस्ताक्षरियों जैसे कि पार्टनरशिप फार्म/प्राइवेट लि. कम्पनीज़ के लिए हस्ताक्षर का सत्यापन अनिवार्य है। ➤ हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए निम्नलिखित किसी एक पर विचार किया जाएगा : <ul style="list-style-type: none"> क) बैंकर का हस्ताक्षर संबंधी सत्यापन ख) पासपोर्ट की प्रतिलिपि ग) पैन कार्ड घ) ड्राइविंग लाइसेंस-फोटोग्राफ और हस्ताक्षर सहित ड) राशन कार्ड-ग्राहक के हस्ताक्षर सहित ➤ निर्गत पीडीसी/एसपीडीसी हेतु उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के लिए हस्ताक्षर का सत्यापन लिया जाएगा ➤ बैंकर का पत्र (बैंकर का सत्यापन)-वर्तमान बैंकर (किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं अधिसूचित सहकारी बैंक के लिए सीमित) से पत्र। बैंक के लेटरहेड या सादे कागज़ पर मूल रूप में पत्र प्राप्त किया जाएगा जिस पर बैंक की मुहर लगी हो एवं प्राधिकृत अधिकारियों के नाम एवं हस्ताक्षर और बैंक का स्टैम्प इस पर हों। व्यक्ति के नाम और हस्ताक्षर के लिए सत्यापन किया जाना चाहिए। ➤ यदि सह-आवेदक/गारंटर अशिक्षित है और हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए निर्धारित किसी भी कागज़ात को पेश करने में असमर्थ रहता है तो निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार अशिक्षित व्यक्ति द्वारा संयोजित यथा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र/अंगूठे के निशान को हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

